

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

राजीव आवास योजना के अधीन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाई एवं आधारभूत संरचना हेतु गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I के लिए प्राप्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि 4719.69 लाख रु के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 638.73 लाख रु0 (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रु0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-..... दिनांक-..... के आलोक में राजीव आवास योजनान्तर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-F.No. N-11027/31/2016/(RAY) HFA-3 (FTS-16019) दिनांक-21.07.16 में विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I हेतु 4719.69 लाख रु0 की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-199 दिनांक-25.01.17 एवं आवंटनादेश सं०-200 दिनांक-25.01.17 से राजीव आवास योजना का सामंजन सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अधीन किये जाने के फलस्वरूप सबके लिये आवास (शहरी) योजना से की गयी है, अनुपातिक राज्यांश की निकासी की जानी है। बजट उपबंध के अभाव में अनुपातिक राज्यांश की राशि गया फेज-I के लिए 575.82 लाख रु0 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख बेरासी हजार रु0 मात्र) एवं पूर्णिया फेज-I के लिए वांछित 707.878 लाख रु0 (सात करोड़ सात लाख सत्तासी हजार आठ सौ रु0 मात्र) में से मात्र 62.91 लाख (बासठ लाख इकान्चे हजार रु0 मात्र) अर्थात् कुल राशि (575.82+62.91 )= 638.73 लाख रु0 (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रु0 मात्र) आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर कटिहार सहित पूर्णिया के लिए शेष वांछित राशि की निकासी आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।

2. स्वीकृत राशि 638.73 लाख रु0 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-1211 दिनांक-15.12.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी



- जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
  5. (i) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 24.24 लाख रू० (चौबीस लाख चौबीस हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217011910319 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 9500.00 लाख रू० (पनचानवे करोड़ रू० मात्र) के अवशेष राशि 24.24 लाख रू० (चौबीस लाख चौबीस हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।  
(ii) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 459.87 लाख रू० (चार करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0301-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217011920301 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 4003.99 लाख रू० के अवशेष राशि 459.87 लाख रू० (चार करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।  
(iii) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 154.62 लाख रू० (एक करोड़ चौवन लाख बासठ हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0312-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217031920312 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 1580.00 लाख रू० के अवशेष राशि 154.62 लाख रू० (एक करोड़ चौवन लाख बासठ हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।
  6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(जय प्रकाश मंडल)  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

ह0/-  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

265 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:- 23.3.17  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।



बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

राजीव आवास योजना के अधीन मलिन बस्तियों में आवासीय इकाई एवं आधारभूत संरचना हेतु गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I के लिए प्राप्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि 4719.69 लाख रु के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि 638.73 लाख रु0 (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रु0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

राजीव आवास योजनान्तर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-F.No. N-11027/31/2016/(RAY) HFA-3 (FTS-16019) दिनांक-21.07.16 में विमुक्त द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि गया फेज-I, पूर्णिया फेज-I एवं कटिहार फेज-I हेतु 4719.69 लाख रु0 की निकासी स्वीकृत्यादेश सं०-199 दिनांक-25.01.17 एवं आवंटनादेश सं०-200 दिनांक-25.01.17 से राजीव आवास योजना का सामंजस सबके लिये आवास (शहरी) योजना के अधीन किये जाने के फलस्वरूप सबके लिये आवास (शहरी) योजना से की गयी है, अनुपातिक राज्यांश की निकासी की जानी है। बजट उपबंध के अभाव में अनुपातिक राज्यांश की राशि गया फेज-I के लिए 575.82 लाख रु0 (पाँच करोड़ पचहत्तर लाख बेरासी हजार रु0 मात्र) एवं पूर्णिया फेज-I के लिए वांछित 707.878 लाख रु0 (सात करोड़ सात लाख सत्तासी हजार आठ सौ रु0 मात्र) में से मात्र 62.91 लाख (बासठ लाख इकान्चे हजार रु0 मात्र) अर्थात् कुल राशि (575.82+62.91) = 638.73 लाख रु0 (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रु0 मात्र) आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट उपबंध प्राप्त होने पर कटिहार सहित पूर्णिया के लिए शेष वांछित राशि की निकासी आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।

- स्वीकृत राशि 638.73 लाख रु0 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-1211 दिनांक-15.12.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 (वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय अनुपूरक बजट) में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में एक मुश्त की जाएगी। राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी

- जाएगी। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा RTGS के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।
  5. (i) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 24.24 लाख रू० (चौबीस लाख चौबीस हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष-0319-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217011910319 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 9500.00 लाख रू० (पनचानवे करोड़ रू० मात्र) के अवशेष राशि 24.24 लाख रू० (चौबीस लाख चौबीस हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।  
 (ii) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 459.87 लाख रू० (चार करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0301-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217011920301 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 4003.99 लाख रू० के अवशेष राशि 459.87 लाख रू० (चार करोड़ उनसठ लाख सतासी हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।  
 (iii) स्वीकृत राशि 638.73 लाख रू० (छः करोड़ अड़तीस लाख तिहत्तर हजार रू० मात्र) में से मात्र 154.62 लाख रू० (एक करोड़ चौवन लाख बासठ हजार रू० मात्र) कि निकासी योजना मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217, शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-192-नगर पालिकाओं -नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0312-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड-P2217031920312 विषय शीर्ष-3105 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय में उपबंधित राशि 1580.00 लाख रू० के अवशेष राशि 154.62 लाख रू० (एक करोड़ चौवन लाख बासठ हजार रू० मात्र) से विकलनीय होगी।
  6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया

जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ० सं०-89/टि० पर दिनांक-22.03.17 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ० सं०-89/टि० पर दिनांक-22.03.17 को प्राप्त है। .

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(जय प्रकाश मंडल)  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक:-04/RAY-27/14-

264

/ न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांक:-231-311

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा० मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

CF 23.3.17  
सरकार के विशेष सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।